न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, दूदाराम R.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 128/2017

वादीगण :–

1. बाबूलाल पुत्र राणाराम
2. पारसराम पुत्र राणाराम
3. मीरा पत्नि राणाराम
4. सरला पुत्री राणाराम

सभी जातियान जाट निवासी चिरढाणी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. दयाराम पुत्र चुतराराम
2. केसाराम पुत्र हेमाराम
3. लालाराम पुत्र हेमाराम
4. जालाराम पुत्र मिसाराम
5. मोहनी, सोवनी, सूकडी पुत्रीयान मिसाराम
6. भंवरलाल, घेवरराम पुत्र सुजाराम
7. सायरी पत्नि सुजाराम
8. हीराराम, धर्माराम पुत्र राणाराम

सभी जातियान जाट निवासीयान चिरढाणी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

9. छैनाराम पुत्र गोपाराम जाति मेघवाल निवासीयान चिरढाणी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
10. प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा बिलाड़ा
11. प्रबन्धक युको बैंक बैंक शाखा पीपाड़ शहर
12. भूमिधारी जरीये तहसीलदार, पीपाड़ शहर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह – वकील वादीगण की ओर से
श्री राजेन्द्र देवड़ा – वकील प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 24.03.2022

वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया कि ग्राम चिरढाणी की सरहद मे स्थित भूमि खाता संख्या 217 के खसरा नं. 609 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा मे वादीगण, प्रतिवादी संख्या ग्यारह, बारह का 1/2 वां हिस्सा व प्रतिवादी सं. एक का 1/2 वां हिस्सा है तथा खाता संख्या 216 के खसरान नं. 394 रकबा 21 बीघा 05 रकबा मे वादीगण, प्रतिवादी संख्या ग्यारह, बारह का 1/3 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक का 1/3 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या तेरह का 1/3 वां हिस्सा है। खाता संख्या 218 के खसरा नं. 380 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा मे वादीगण, प्रतिवादी संख्या ग्यारह, बारह का 1/6 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या एक का 1/6 वां तथा प्रतिवादी संख्या दो, तीन का 1/6 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या चार से दस का 1/3 वां हिस्सा है। इसी प्रकार खाता संख्या 219 के खसरा नं. 643,

652, 673 कुल खसरा 3 कुल रकबा 148 बीघा 12 बिस्वा मे वादीगण, प्रतिवादी संख्या ग्यारह, बारह का 1/4 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक का 1/4 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या दो, तीन का 1/2 वां हिस्सा है तथा ग्राम जाणीनगर की राजस्व सीमा मे स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 53 खसरा नं. 947 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा मे वादीगण, प्रतिवादी संख्या ग्यारह, बारह का 1/4 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक का 1/4 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या दो, तीन का 1/2 वां हिस्सा है। माफिक हक हिस्सानुसार पक्षकारान मौके पर संयुक्त रूप से साहुलियत अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक कानून अनुसार बंटवाडा किया हुआ नही है। पक्षकारान शामलाती रूप से साहुलियत अनुसार ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी पर वादपत्र के पद संख्या दो मे वर्णित हक हिस्सानुसार ही पक्षकारान साहुलियत अनसुार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी के खसरान नं. 673 मे वादीगण का शामलाती कुआ भी खुदा हुआ है जिस पर इंजन लगाकर सिंचाई करते है। वादीगण ने कई बार माफिक हक हिस्सानुसार कानून बंटवाडा करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कहा लेकिन प्रतिवादीगण टाल मटोल करते आ रहे है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या ग्यारह, बारह वादग्रस्त आराजी के प्रत्येक खसरान की जमीन पर माफिक हक हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है इसलिए वादीगण ने दिनांक 27.10.2017 को वादग्रस्त आराजी का माफिक हक हिस्सानुसार बंटवाडा करवाने हेतु कहा इस पर प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया तथा वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने की धमकी दी, जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है जिसके लिए वादीगण को उक्त वादपत्र बाबत् बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना पड़ रहा है। वादग्रस्त आराजी अविभाजित है जिसका कानून अनुसार आज दिनांक तक बंटवाड़ा किया हुआ नही है। अविभाजित आराजी के प्रत्येक इन्च जमीन पर प्रत्येक सहखातेदार काश्तकार का समान हक व हिस्सा बनता है। वादीगण वादग्रस्त आराजी का माफिक हक हिस्सानुसार बंटवाड़ा करवाना चाहते है लेकिन प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि पर कब्जा करना चाहते है तथा वादीगण को वादग्रस्त आराजी से जोर जबरदस्ती बेदखल करने पर उतारू है जिन्हे न्यायहित मे रोका जाना आवश्यक व लाजमी है। बिनाय दावा बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण वृाद मे वर्णित तथ्यो व परिस्थितियो की वजह से तथा दिनांक 27.10.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का माफिक हक हिस्सानुसार बंटवाडा कराने से इन्कार करने व वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम चिरढाणी मे पैदा हुआ व आज भी हो रहा है।

इस्तदुआ वादीगण निम्न प्रकार से है :–

वादीगण के हक मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम चिरढाणी व जाणीनगर की राजस्व सीमा मे स्थित वादग्रस्त आराजी का वादपत्र के वादीगण, प्रतिवादी संख्या ग्यारह, बारह के बंट हक हिस्सा, कब्जा काश्त उपयोग उपभोग मे प्रतिवादीगण संख्या एक से दस किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करे न किसी अन्य से करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की और वकील राजेन्द्र देवड़ा ने वकालत नामा मय जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या

14 की और से वकील गोविन्दसिंह चौधरी ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 15,16 फोरमल पक्षकार है। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 13 ने एडमिटेड जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम चिरढाणी की राजस्व सीमा मे कृषि भूमि खसरा नं. 609, 394, 380, 643, 652, 673 रकबा कमशः 15 बीघा 17 बिस्वा, 21 बीघा 05 बिस्वा, 19 बीघा 15 बिस्वा, 58 बीघा 02 बिस्वा, 35 बीघा 05 बिस्वा व 55 बीघा 05 बिस्वा आयी हुई है तथा ग्राम जाणीनगर पटवार हल्का चिरढाणी की सीमा मे खसरा नं. 947 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा आयी हुई है। वादीगण व प्रतिवादीगण की वादग्रस्त आराजी मे वादीगण व प्रतिवादीगण के हक हिस्सा को दर्शाया गया है जो सही है। वादग्रस्त आराजी अविभाजित है जिसका आज दिन तक नाप चौक कर अलग अलग बंटवाडा किया हुआ नही है। पक्षकारान साहुलियत अनुसार सामलाती रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी का माफिक हक हिस्सानुसार प्रत्येक खसरा मे से बंटवाडा करवाने को तैयार है वादग्रस्त आराजी मे प्रत्येक खसरा मे से वादीगण व प्रतिवादीगण माफिक हक हिस्सानुसार बंटवाडा नाप चौक कर करवाने को तैयार है। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिसका राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हक हिस्सानुसार प्रत्येक खसरा मे वादीगण व प्रतिवादीगण का बंट रखा जाकर बंटवाडा किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। जिस खसरा मे रास्ता नही हो रास्ता शामलाती छोड़ा जाकर बंटवाडा किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। क्योंकि वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक किसी प्रकार से कोई बंटवाडा किया हुआ नही है पक्षकारान कम ज्यादा जमीन पर काश्त करते है इसलिए अब वादीगण व प्रतिवादीगण जमीन का नाप चौक कर माफिक हक हिस्सानुसार प्रत्येक खसरा मे से प्रत्येक वादीगण व प्रतिवादीगण अपना हिस्सानुसार बंटवाडा करवाना चाहते है। वादग्रस्त आराजी जो चिरढाणी व जाणीनगर की सीमा मे स्थित है का वादीगण व प्रतिवादीगण माफिक हक हिस्सानुसार प्रत्येक खसरा मे से बंटवाडा रास्ता कायम किया जाकर किया जाता है हम प्रतिवादीगण कोई एतराज नही है। वर्तमान मे वादग्रस्त आराजी का कोई बंटवाडा किया हुआ नही है इसलिए जमीन हिस्सानुसार बराबर बराबर की जाकर बंटवाडा किया जाने का आदेश फरमावे। प्रकरण में वादी एंव प्रतिवादीगण की सहमति से तनकीयात के बिन्दु कायम किये गये जो इस प्रकार से है

1 आया वादीगण के खेत खसरा नम्बर ग्राम चिरढ़ाणी 609, 394, 380, 643, 652, 673 एवं ग्राम जाणीनगर के खसरा नम्बर 947 का नियमानुसार बंटवाडा व वाद डिकी कराने का अधिकारी है ।

2 आया प्रतिवादीगण बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के अनुसार बंटवाड़ा किये जाने पर अनापति जाहिर की है । वाद डिकी करवाने का अधिकारी है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया जाकर गया तथा पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजो एवं वकील प्रतिवादीगण का एडमिटेड जवाब का अवलोकन किया गया तथा दोनो वकीलो की सहमति से बहस वकुलाय सुनी जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम चिरढ़ाणी के खसरा नम्बर 69, 394, 380, 643, 652, 673 व ग्राम जाणीनगर के खसरा नम्बर 947 में वादी एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार रहेगा । तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त

बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 12.08.2021 निर्णय का भाग रहेगा । उक्तानुसार तहसीलदार पीपाड़ शहर राजस्व रेकर्ड में अंकन करे । इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी हो ।

(बुद्धाराम)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 24.03.2022 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(बुद्धाराम)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D & 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास **दूदाराम R.A.S.**

बाबुलाल वगैरा बनाम दयाराम वगैरा

दावा बाबत **53,88,188 आर टी एक्ट** राजस्व मूल वाद संख्या **128/2017**

आज मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील **ओमप्रकाश कच्छावाह** मनजानिब मुदई वकील **राजेन्द्र देवड़ा** मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **राजस्व ग्राम चिरढ़ाणी के खसरा नम्बर 69, 394, 380, 643, 652, 673 व ग्राम जाणीनगर के खसरा नम्बर 947 में वादी एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार रहेगा । तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 12.08.2021 निर्णय का भाग रहेगा । उक्तानुसार तहसीलदार पीपाड़ शहर राजस्व रेकर्ड में अंकन करे । इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी हो ।**

लीज .....शून्य .....मुवलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरद.....शून्य.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....शून्य.....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.03.2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....

अहिदा.....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजोदाबा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान.....			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान.....		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।

24/3/22